



Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com>

300831

2 messages

PADUM NARAYAN DWIVEDI <hearingcourts5.upic@up.gov.in>

25 May 2026 at 14:46

To: Commissioner Office Lucknow Division <commluc@nic.in>, ldartionline <ldartionline@gmail.com>, yogimpsingh <yogimpsingh@gmail.com>

300831.pdf
3489K

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com>

30 June 2026 at 21:32

To: PADUM NARAYAN DWIVEDI <hearingcourts5.upic@up.gov.in>

Cc: Commissioner Office Lucknow Division <commluc@nic.in>, ldartionline <ldartionline@gmail.com>

BEFORE THE HON'BLE STATE INFORMATION COMMISSION, UTTAR PRADESH

In the Matter of: Second Appeal No: S05/A/0296/2025 Registration No: A-20250300831 Diary Number: 10D-030220260012 (Fixed for Further Hearing on 01/07/2026 before Room S-5)

Yogi M. P. Singh

Mohalla Surekapuram, Jabalpur Road, Sangmohal, Mirzapur, U.P. – 231001

... **APPELLANT****VERSUS****Shri Atul Krishna, Public Information Officer (PIO) / Deputy Secretary**

Lucknow Development Authority (LDA), Lucknow – 226012

... **RESPONDENT****WRITTEN REPRESENTATION ON BEHALF OF THE APPELLANT REGARDING PERSISTENT NON-COMPLIANCE BY THE PIO****MOST RESPECTFULLY SHOWETH:****1. Background of the Application:**

The Appellant filed an online RTI application on **05/11/2024** (Registration No: LKDPA/R/2024/60706) seeking 5 specific points regarding the file notings and names of the accountable staff who handled a Presidential reference forwarded by the Chief Secretary's Office to the LDA on 09/06/2022. This reference pertained to the non-compliance of U.P. Human Rights Commission (UPHRC) directives by the LDA.

2. Total Disregard for the First Appellate Authority's Orders:

The First Appellate Authority (FAA) / Additional Secretary of the LDA, vide his explicit order dated **16/01/2025** in Appeal No. LKDPA/A/2025/60262, recorded that the PIO had no proof of dispatching any information. The FAA explicitly directed the PIO to provide all permissible information within 15 days. The PIO completely defied his own departmental senior's order.

3. **Evasive Tactics and Shield of "Investigation":**

The Respondent issued a highly misleading interim letter (No. 562/SO(P)/OSD/2026) dated **20/01/2026**, trying to convolute the matter by stating that an internal inquiry committee regarding land allocations could not proceed because parties did not present original records. As established in the Appellant's citizen submission dated **03/02/2026**, the PIO cannot legally withhold existing administrative records (staff names and existing file notings) under the guise of an ongoing land investigation.

4. **Defiance of the Commission's Show-Cause Notice:**

Finding the PIO's conduct to be obstructive, incomplete, and misleading, this Hon'ble Commission was pleased to issue a Show-Cause Notice under Section 20 of the RTI Act on **22/04/2026**. Despite the severe threat of a statutory penalty, the PIO chose not to supply the information to the Appellant.

5. **Defiance of the Divisional Commissioner's Directives:**

Pursuant to this Commission's directions, the **Office of the Divisional Commissioner, Lucknow**, issued a strict order vide P पत्र संख्या: 2832/जनसूचना-140/2025-26 dated **30 मई, 2026**, ordering the PIO to ensure immediate compliance and provide the long-pending information. The PIO has blatantly ignored even the Divisional Commissioner's administrative intervention, and till date, **not a single page of information has been provided to the seeker.**

PRAYER

In light of the absolute, habitual, and multi-layered defiance demonstrated by the PIO across a span of more than 1.5 years, the Appellant most humbly prays that this Hon'ble Commission may be pleased to:

- **Reject** any further standard or evasive status updates presented by the LDA.
- **Impose the Maximum Penalty of ₹25,000** on the PIO, Shri Atul Krishna, under Section 20(1) of the RTI Act, 2005, for deliberate obstruction of information.
- **Recommend Disciplinary Proceedings** against the Respondent under Section 20(2) for showing absolute insubordination toward the FAA, the Divisional Commissioner, and this Hon'ble Commission.
- **Direct the immediate and unconditional delivery** of the specific file notings and staff designations requested under points 1, 2, and 3 of the original application.

Date: 30/06/2026

Place: Mirzapur / Lucknow

Respectfully Submitted,

(Yogi M. P. Singh)

Appellant

On Mon, 25 May 2026 at 14:46, PADUM NARAYAN DWIVEDI <hearingcourts5.upic@up.gov.in> wrote:



communication.pdf
506K

प्रेषक.

आयुक्त,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय, उप सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक: 2832/जनसूचना-140/2025-26

दिनांक: 30 मई, 2026

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचनायें दिये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ की नोटिस संख्या- 202605एस05एन 201014 दिनांक 25.05.2026(छायाप्रति संलग्न), अपील संख्या- एस05/ए/0296/2025, पंजीकरण सं0- ए-20250300831, श्री योगी एमपी सिंह पुत्र श्री राजेंद्र प्रताप सिंह, नि0- सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड, मिर्जापुर सिटी, जनपद-मिर्जापुर, बनाम जनसूचना अधिकारी/कार्यालय ल0वि0प्रा0, लखनऊ को सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए लिखित कथन ईमेल (hearingcourts5.upic@up.gov.in) पर पी0डी0एफ0 के माध्यम से मा0 राज्य सूचना आयुक्त, सुनवाई कक्ष सं0 एस-5 को निर्धारित/सुनवाई तिथि 01.07.2026 से दो दिन पूर्व प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. प्रकरण में उक्त नोटिस के साथ संलग्न मा0 आयोग द्वारा पारित आदेश/कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.04.2026 में आवेदक को निर्धारित समय अन्तर्गत एवं पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में जनसूचना अधिकारी, ल0वि0प्राधि0, लखनऊ पर सूचना का अधिकार अधि0 2005 की धारा-20 में प्राविधानित जुर्माना अधिरोपित करने से पूर्व अंतिम अवसर प्रदान करते हुये, आगामी तिथि 01.07.2026 पर स्वयं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने का आदेश पारित किया गया है।

3. उक्त के साथ ही मण्डलायुक्त लखनऊ को भी प्रकरण में आवेदक को ल0वि0प्राधि0 द्वारा अभी तक सूचना उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राज्य सूचना आयोग के आदेश दिनांक 22.04.2026 का अनुपालन कराते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, साथ ही नियत तिथि दिनांक 01.07.2026 को मा0 आयोग के समक्ष पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पीयूष कुमार गुप्ता)

प्रशासनिक अधिकारी/जन सूचना अधिकारी,
कृते आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि-जनसूचना अधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, आर0टी0आई0 भवन, गोमती नगर, लखनऊ के नोटिस संख्या- 202605एस05एन201014 दिनांक 25.05.2026 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. श्री योगी एमपी सिंह पुत्र श्री राजेंद्र प्रताप सिंह, नि0- सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड, मिर्जापुर सिटी, जनपद-मिर्जापुर, 231001, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी से पत्राचार/सम्पर्क कर वांछित सूचना प्राप्त करने का कष्ट करें।

(पीयूष कुमार गुप्ता)

प्रशासनिक अधिकारी/जन सूचना अधिकारी,
कृते आयुक्त।

वक्,

आयुक्त,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय, उप सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक: 2832/जनसूचना-140/2025-26

दिनांक: 30 मई, 2026

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचनार्थें दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ की नोटिस संख्या- 202605एस05एन 201014 दिनांक 25.05.2026 (छायाप्रति संलग्न), अपील संख्या- एस05/ए/0296/2025, पंजीकरण सं0- ए-20250300831, श्री योगी एमपी सिंह पुत्र श्री राजेंद्र प्रताप सिंह, नि0- सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड, मिर्जापुर सिटी, जनपद-मिर्जापुर, बनाम जनसूचना अधिकारी/कार्यालय ल0वि0प्रा0, लखनऊ को सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए लिखित कथन ईमेल (hearingcourts5.upic@up.gov.in) पर पी0डी0एफ0 के माध्यम से मा0 राज्य सूचना आयुक्त, सुनवाई कक्ष सं0 एस-5 को निर्धारित/सुनवाई तिथि 01.07.2026 से दो दिन पूर्व प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. प्रकरण में उक्त नोटिस के साथ संलग्न मा0 आयोग द्वारा पारित आदेश/कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.04.2026 में आवेदक को निर्धारित समय अन्तर्गत एवं पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में जनसूचना अधिकारी, ल0वि0प्राधि0, लखनऊ पर सूचना का अधिकार अधि0 2005 की धारा-20 में प्राविधानित जुर्माना अधिरोपित करने से पूर्व अंतिम अवसर प्रदान करते हुये, आगामी तिथि 01.07.2026 पर स्वयं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने का आदेश पारित किया गया है।

3. उक्त के साथ ही मण्डलायुक्त लखनऊ को भी प्रकरण में आवेदक को ल0वि0प्राधि0 द्वारा अभी तक सूचना उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राज्य सूचना आयोग के आदेश दिनांक 22.04.2026 का अनुपालन कराते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, साथ ही नियत तिथि दिनांक 01.07.2026 को मा0 आयोग के समक्ष पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पीयूष कुमार गुप्ता)

प्रशासनिक अधिकारी/जन सूचना अधिकारी,
कृते आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि-जनसूचना अधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, आर0टी0आई0 भवन, गोमती नगर, लखनऊ के नोटिस संख्या- 202605एस05एन201014 दिनांक 25.05.2026 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. श्री योगी एमपी सिंह पुत्र श्री राजेंद्र प्रताप सिंह, नि0- सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड, मिर्जापुर सिटी, जनपद-मिर्जापुर, 231001, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी से पत्राचार/सम्पर्क कर वांछित सूचना प्राप्त करने का कष्ट करें।

(पीयूष कुमार गुप्ता)

प्रशासनिक अधिकारी/जन सूचना अधिकारी,
कृते आयुक्त।

140/25-26

6717
29/5/2026

AC(A)

प्रतिलिपि :-

1 मण्डलायुक्त, पता : मण्डलायुक्त लखनऊ, इ.यू संख्या : EU866020118IN
संलग्न :- आयोग द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 22/04/2026 का प्रति।

25/5/2026

नोट :- इस द्वितीय अपील अद्यावधिक स्थिति आयोग की वेबसाइट www.upsic.up.gov.in पर उपलब्ध है जिनमें केस की पंजीकरण संख्या का प्रयोग करके देखा जा सकता है।

नराम

श्री अविनाश

27-5-26
(राधेश्याम)

अपर आयुक्त (प्रवक्ता)
लखनऊ मण्डल लखनऊ



उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

7/7/ए, RTI भवन, विभूती खंड गोमती नगर लखनऊ

नोटिस संख्या : 202605S05N201014

नोटिस प्रारूप - 2

दिनांक : 25/05/2026

अपील संख्या : S05/A/0296/2025

पंजीकृत संख्या : A-20250300831

अपीलकर्ता : योगी एमपी सिंह

वनाम

विपक्षी : जन सूचना अधिकारी

सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि : 01/07/2026

सेवा मे,

(1) योगी एमपी सिंह

अपीलकर्ता

योगी एमपी सिंह

पिता /पति का नाम : राजेंद्र प्रताप सिंह

पता-सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड मिर्जापुर सिटी

जिला - मिर्जापुर

पिनकोड -231001

मोबाइल नंबर-: 7379105911

ई-मेल- yogimpsingh@gmail.com

इ.यू.संख्या : EUIN

विपक्षी : (1)जन सूचना अधिकारी

: पता : Public Information Officer Office -

श्री अतुल कृष्ण उप सचिव लखनऊ विकास

प्राधिकरण लखनऊ पिन कोड : 226012

मोबाइल नंबर-: 9918001893

ई-मेल- raz.9125@gmail.com

इ.यू.संख्या : EU866020121IN

चूंकि उपर्युक्त योगी एमपी सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत द्वितीय अपील दिनांक 15/03/2025 को प्रस्तुत की गई है थी, जिस पर अद्येतर सुनवाई दिनांक 01/07/2026 को की जाएगी।

अतएव उपर्युक्त अपील में दिनांक 22/04/2026 की सुनवाई में आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अपीलकर्ता सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त आदेश के अनुक्रम में वांछित कार्यवाही पूर्ण करते हुए आगामी सुनवाई दिनांक 01/07/2026 हेतु निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व अपना लिखित कथन (ईमेल-hearingcourts5.upic@up.gov.in अथवा विभागीय पोर्टल- <https://upsic.up.gov.in/>) पर स्कैन करते हुए पी0डी0एफ0 के फॉरमेट में मा0 राज्य सूचना आयुक्त, सुनवाई कक्ष संख्या एस-5 के समक्ष कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

25/05/2026

22/05/2026

Rakesh Kumar Pushkar #541B2061BC9C8F6783DE2590BE595FF1

कृते पीठासीन अधिकारी

सु. एस-5

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग



उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

7/7ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

अपील संख्या एस-05/0296/ए/2025

अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री योगी एम0पी0 सिंह	श्री अतुल कृष्ण/उप सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
समक्ष : श्री पदुम नारायण द्विवेदी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।	

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। अपीलकर्ता अनुपस्थित है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्री शशांक मिश्रा उपस्थित हुए।

धारा	मांगी गई सूचना का सार
6(1)	आवेदक ने राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजी गयी एक शिकायत का जिक्र है, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यू0पी0एच0आर0सी0 के 2021 के निर्देश का पालन न करने की बात की गयी है, के सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी है।

कारण बताओ नोटिस

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। उभयपक्ष अनुपस्थित है।

सुनवाई कक्ष संख्या एस-5 में विचारार्थ अपील/शिकायत प्रकरण संख्या एस-5/ए/0296/2025 में सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि आपने अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता श्री योगी एम0पी0 सिंह को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी अथवा असत्य, अपूर्ण या बहकावापूर्ण सूचना दी है अथवा निवेदित सूचना की विषय-वस्तु को नष्ट किया है अथवा सूचना देने में किसी भी ढंग से बाधा डाली है पाया गया है और इस तरह आपका मामला सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 में प्राविधानित दण्ड दिये जाने हेतु पाया गया है।

दण्ड जुर्माना अधिरोपित किये जाने से पूर्व आपको सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर दिए जाने हेतु उचित पाता हूँ। अतः इस नोटिस के साथ आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक-01.07.2026 को सुनवाई कक्ष संख्या एस-5 में

सागर

उपरोक्त प्रकरण में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध धारा 20 में प्राविधानित जुर्माना अधिरोपित कर दिया जायेगा।

कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति संलग्न करते हुए मण्डलायुक्त, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित की जाये कि वह अपने स्तर से श्री अतुल कृष्ण/उप सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को निर्देशित करें कि वह अपीलकर्ता को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित जन सूचनाधिकारी को लिखे गये पत्र की एक प्रति नियत तिथि पर स्वयं अथवा किसी सक्षम अधिकारी के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।



22.04.2026

पीठासीन अधिकारी
सुनवाई कक्ष संख्या एस-5

ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध फॉर्म विवरण

न सूचना अधिकारी का विवरण :-

लोक प्राधिकारी

लक्षनऊ विकास प्राधिकरण

आरटीआई आवेदक का व्यक्तिगत विवरण :-

पंजीकरण संख्या

LKDPA/R/2024/60706

फाइलिंग की तारीख

05/11/2024

नाम

Yogi M P Singh

लिंग

पुंय

पता

Mohalla Surekapuram|Jabalpur Road|Sangmohal
post office

जिला

Mirzapur

पिन कोड

231001

राज्य

Uttar Pradesh

शैक्षिक स्थिति

शिक्षित (स्नातक तथा अधिक)

दूरभाष संख्या

विवरण प्रदान नहीं किया गया

मोबाईल नम्बर

+91-7379105911

ईमेल आईडी

yogimpsingh[at]gmail[dot]com

नागरिकता

भारतीय

क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है ?

नहीं

बीपीएल कार्ड नंबर (बीपीएल का सबूत एक अनुलग्नक के रूप में प्रदान किया जा सकता है)

विवरण प्रदान नहीं किया गया

जापि करने का वर्ष

जापि करने वाला प्राधिकरण

विवरण प्रदान नहीं किया गया

RTI आवेदन का विवरण u/s 6(1) :-

संबंधित पीआईओ

Balram

पदनाम

फोन नंबर

ईमेल

Email CHIEF SECRETARY OFFICE GOVT OF UP Fwd: VICE CHAIRMAN LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY did not any action to comply with direction dated 14/12/2021 of U.P.H.R.C. and made mockery of R.T.I. Act 2005. From: CHIEF SECRETARY OFFICE GOVT OF UP csup@nic.in Thu, Jun 09, 2022 01:09 PM Subject: Fwd: VICE CHAIRMAN LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY did not any action to comply with direction dated 14/12/2021 of U.P.H.R.C. and made mockery of R.T.I. Act 2005. To: LDA Lucknow contactusida22@gmail.com From: "Presidents Secretariat presidentofindia@rb.nic.in To: "CHIEF SECRETARY OFFICE GOVT OF UP csup@nic.in Cc: myogimpsingh@gmail.com Sent: Thursday, June 9, 2022 11:36:49 AM Subject: Fwd: VICE CHAIRMAN LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY did not any action to comply with direction dated 14/12/2021 of U.P.H.R.C. and made mockery of R.T.I. Act 2005. Public information officer Lucknow Development Authority may provide the following information point wise to the information seeker at the earliest as follows.1- Now it has been proved from the attached documents that representation of the information seeker concerning Dinesh Pratap Singh was forwarded by the President Secretariat on Thursday, June 9, 2022 11:36:49 AM to chief secretary and office of chief secretary forwarded it to LDA lakhnau on the same date as Thu, Jun 09, 2022 01:09 PM. Public information officer must provide the name and designation of the staff of the Lucknow Development Authority who received this communication concerning electronic mail.2- Public information officer must provide the notings made on this representation by the concerned accountable public staff of

the Lucknow Development Authority.3- Provide the name and designations of the public staff of the Lucknow Development Authority who processed this email representation of presidential reference forwarded by Chief Secretary Office. 4- Provide the action taken report on this email representation by the concerned accountable staff of the Lucknow Development Authority.5- Please provide the reason for not sending intimation to the information seeker regarding the action taken as directed by the office of His Excellency that action may be taken under the intimation to the applicant.Public information officer must provide the five points of information to the information seeker within a stipulated 30 days as prescribed under subsection 1 of section 7 of the right to information act 2005.